न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/30/2023

थानाधिकारी पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर. .....प्रार्थी0

बनाम

श्री आजाद पुत्र श्री दीना उम्र 52 साल जाति मेव निवासी दौलतावास झिमरावट तहसील नगीना जिला नूँह हरियाणा, 2 जरिये मुख्त्यारनामा खास लियाकत पुत्र यूनूसि जाति मेव उम्र करीब 33 साल निवासी तैड फिरोजपुर थाना पिनगवॉ जिला नूँह हरियाणा वाहन स्वामी कैन्ट्रा ट्रक रजिस्टर नं. एचआर 74 बी 9714 .....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 52/23 धारा 5/8 में जप्त वाहन के बाबत।

उपस्थित :–
1–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,
2–श्री मुकीम खान, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 23.8.2023**

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना चिकसाना, जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया , जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.2.2023 जरिये मोबाईल सूचना मिली की एनएच 21 भरतपुर आगरा रोड पर राधिका बिहार कॉलोनी के सामने एक कैन्ट्रा ट्रक सड़क पर खड़ा हुआ है मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तो मौके पर एक गाडी कैन्ट्रा ट्रक एचआर 74 बी 9714 खड़ा मिला जिसको चैक किया उसमें कोई व्यक्ति ड्राईवर मौजूद नहीं मिला। गाडी की पीछे लगे लकड़ी के फन्टों को ऊपर नीचे कर चैक किया तो उसमें गौवश ठूंस ठूंस कर भरा हुआ मिला। आस पास देखा व पूछा गया तो उक्त कैन्ट्रा ट्रक मालिकाना हक के सम्बन्ध में कोई वयक्ति नहीं मिला। आस

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

पास राहगीरों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इस कैन्ट्रा ट्रक में अज्ञात व्यक्ति थे जो गाडी बंद होने के कारण छोडकर भाग गये हैं कैन्ट्रा ट्रक को चैक किया तो उसमें 16 गौंवश भरे मिले। जिनमे 10 गाय, 01 बछडी, 04 सांड एवं 01 मृत गाय मिली सभी गौवंशो को रससियों से क्रूरतापूर्वक बांधकर ठूंस ठूंसकर भरा हुआ था। गौवंश को जप्त किया गया, गौकसी हेतु गौवंश के परिवहन में प्रयुक्त वाहन कैन्ट्रा ट्रक रजि0 नं. एचआर 74बी 9714 वरुये फर्द बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस किया गया, 15गौवंशो को नंदीशाला गौशाला रुंध इकरन जिला भरतपुर में सुपुद्रगी कर जमा कराया जाकर रसीद प्राप्त की गई एवं मृत 1 गाय का परीक्षण व पोस्टमार्टम करवाया जाकर नियमानुसार शव को दफनाया गया। वांछित वाहन को राजकोप एप पर सर्च किया जाकर वाहन स्वामी श्री आजाद को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया जाकर जबाब प्राप्त किया। वाहन स्वामी आजाद न बताया कि उसने यह वाहन सन् 2021 में जरिये मुख्तयारनामा खास लियाकत को बेचना बताया। उक्त वाहन गायों को राजस्थान से उत्तर प्रदेश की तरफ ले जारहे थे अप्रार्थी पर जुर्म धारा 5,8 आरबीए एक्ट का जुर्म प्रमाणित है मुजजिम लियाकत पुत्र यूनूस को गिरफतार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया जो कि न्यायिक अभिरक्षा मे चल रहा है। जप्त वाहन न0 एचार 74बी 9714 को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये अप्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उन्हें प्रार्थना पत्र प्रकरण धारा 6ए गौवंश अधिनियम की नकल दी गई, अप्राथी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र धारा 6ए का कोई जबाब एवं अपने साक्ष्य वगै. पेश करने से मना किया। प्रकरण में बहस करने की प्रार्थना की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी सरकार ओर से ए.पी.पी. ने अपनी बहस में हमारा ध्यान थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर आकर्षित करते हुये बताया कि पुलिस थाना ने दिनांक 21.2.23 को मौके पर पहुंच गाडी कैन्ट्रा ट्रक एचआर 74 बी 9714 कैन्ट्रा ट्रक वाहन अज्ञात व्यक्ति थे जो गाडी बंद होने के कारण छोडकर भाग गये हैं कैन्ट्रा ट्रक को चैक किया तो उसमें 16 गौंवश भरे मिले। जिनमे 10 गाय, 01 बछडी, 04 सांड एवं 01 मृत गाय मिली सभी गौवंशो को रससियों से क्रूरतापूर्वक बांधकर ठूंस ठूंसकर भरा हुआ था। गौवंश को जप्त किया गया, गौकसी हेतु गौवंश के परिवहन में प्रयुक्त वाहन कैन्ट्रा ट्रक रजि0 नं. एचआर 74बी 9714 वरुये फर्द बतौर बजह सबूत

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

.....3

जप्त कर कब्जा पुलिस किया गया, 15गौवंशो को नंदीशाला गौशाला रुंध इकरन जिला भरतपुर में सुपुदर्गी कर जमा कराया जाकर रसीद प्राप्त की गई एवं मृत 1 गाय का परीक्षण व पोस्टमार्टम करवाया जाकर नियमानुसार शव को दफनाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त गौवश को राजस्थान सीमा से उत्तर प्रदेश गौवध को ले जारहा था परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थी के पास राजस्थान से अन्य राज्य उत्तरप्रदेश को गौवश को परिवहन कर लेजाने को किसी सक्षम अधिकारी का परिमिट नहीं था। अप्रार्थी के खिलाफ थाना में एफआईआर नं. 52/2023 धारा 5/8 आरबी एक्ट दर्ज की गई। अप्रार्थीगण का यह कृत्य अपराध धारा 5/8 एवं धारा 6ए के तहत दण्डनीय अपराध है। योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र धारा ए गौवंश अधिनियम का जबाब भी पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधिनियम स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन को राजसात किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि वह श्री आजाद जरिये मुखत्यारखास श्री लियाकत वाहन मालिक है, मुख्त्यारखास लियाकत गाड़ी को सुपुदर्गी में लेने का हकदार रहता है। अपने कथनों में बताया कि अप्रार्थी ने गौवंश अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी गाडी मालिक के वाहन में गौकशी के उद्देश्य से गौवश को ले जाना अपनी एफआईआर पर गलत दर्ज किया है। गाड़ी पुलिस थाना परिसर में खुले में खड़ी हुई है जिसके खुले में खड़े रहने खराब हो रही है। पुलिस थाना चिकसाना को उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को अपने व्यवसाय कार्य हेतु उक्त वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी ने कोई जुर्म नहीं किया है। जप्त वाहन को रिलीज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) का अध्ययन किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 6 Transporter to be abettor:–

".....Whenver the bovine animals are trasported by any means of transport in furtherance of the object of colimission of any offence under this Act, the transporter shall be gulity of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided under section 8 of the Act for person committing the said offence....."

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

.....4

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 की धारा 11 :–

"Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं।

1–क्या जप्त वाहन गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन किये जाने लिप्त था ?

2–क्या अप्रार्थी0 वाहन मालिक के पास गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन करने का सक्षम अधिकारी का परमिट था?

1,– राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राजस्थान राज्य की सीमा के किसी भी स्थान से अन्य राज्य में किसी भी स्थान को निर्यात परिवहन प्रतिबन्धित किया हुआ है। थाना अधिकारी चिकसाना ने दिनांक 21.2.2023 को गौवंश को गौतस्करी कर ले जाने की सूचना पर मौके पर जाकर उक्त कैन्ट्रा ट्रक एचआर 74 बी 9714 कैन्ट्रा ट्रक वाहन अज्ञात व्यक्ति थे जो गाडी बंद होने के कारण छोडकर भाग गये हैं कैन्ट्रा ट्रक को चैक किया तो उसमें 16 गौंवश भरे मिले, जिनमे 10 गाय, 01 बछडी, 04 सांड एवं 01 मृत गाय मिली सभी गौवंशो को रससियों से क्रूरतापूर्वक बांधकर ठूंस ठूंसकर भरा हुआ था। गौवंश को जप्त किया गया, गौकसी हेतु गौवंश के परिवहन में प्रयुक्त वाहन कैन्ट्रा ट्रक रजि0 नं. एचआर 74बी 9714 वरुये फर्द बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस किया गया, 15 गौवंशो को नंदीशाला गौशाला रुंध इकरन जिला भरतपुर में सुपुदर्गी कर जमा कराया जाकर रसीद प्राप्त की गई है एवं मृत 1 गाय का परीक्षण व पोस्टमार्टम करवाया जाकर नियमानुसार शव को पुलिस द्वारा दफनाया गया। वाहन कैन्ट्रा ट्रक रजि0 नं. एचआर 74बी 9714 द्वारा उक्त गौंवश को राजस्थान सीमा से उत्तर प्रदेश गौवध के लिये परिवहन किया जा रहा था। उक्त वाहन द्वारा प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान सीमा से उत्तरप्रदेश राज्य में परिवहन कर ले जाये जाने कोई सक्षम अधिकारी की स्वीकृति परमिशन नही थी। पुलिस थाना द्वारा गौवंशीय पशु को राजस्थान की सीमा से उत्तर प्रदेश राज्य में परिवहन करते हुये जप्त किया गया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

.....5

2– गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से अन्य राज्य में लेने जाने परिवहन करने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा परमिशन जारी की जाती है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी की ओर से अपने बचाव में कोई लिखित जबाब या साक्ष्य दस्तावेजी वगे. पेश नहीं किये गये हैं। जब कि उन्हें न्यायालय द्वारा जबाब एवं अपने हक में साक्ष्य सबूत पेश करने के लिये कहा गया था, जब कि नियमों के तहत अपने निर्दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी अप्रार्थी की थी। अतः यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी के पास राजस्थान सीमा से उत्तर प्रदेश सीमा में गौवश को परिवहन कर ले जाने की किसी सक्षम अधिकारी की कोई परिमिशन नहीं थी। इस प्रकार प्रार्थी थाना अधिकारी चिकसाना द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधि0 के साथ प्रस्तुत नकल एफ.आई.आर., फर्द जप्ती गौवंश, जप्ती वाहन, फर्द पुछताछ, फर्द मौका नक्शा एवं बयान मौका गवाहन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन संख्या कैन्ट्रा ट्रक रजि0 नं. एचआर 74बी 9714 गौंवश को तस्करी कर राजस्थान सीमा से उत्तर प्रदेश राज्य में परिवहन में लिप्त पाया गया है।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा धारा 6ए गौवशं अधि. के नोटिस का कोई जबाब नही देना अपने हक मे कोई साक्ष्य वगे. पेश करने से इन्कार करने पर प्रार्थी की प्रार्थना पर आर.बी.ए.एक्ट की धारा 6ए पर मैरिट पर सुने जाने से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वतः ही निषप्रभावी हो जाता है।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त कैन्ट्रा ट्रक रजि0 नं. एचआर 74बी 9714 गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर उत्तर प्रदश राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहनों को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए का अवलोकन किया गया :–

3– Insrtion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exisstiong section 6 and before the existiog section 7 of the principal Act the following new section shall be inserted,namely :

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.....Provided also that before ordering confisction under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत जप्त वाहन पिक संख्या यूपी 85 सीटी 1695 वाहन पर राशि 300000/– (तीन लाख रुपये) जुर्माना (Fine) कायम की जाना एवं जुर्मान राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये जप्त कैन्ट्रा ट्रक रजि0 नं. एचआर 74बी 9714 को राजसात (confiscate) किये जाने से पूर्व वाहन मालिक प्रार्थी को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर वाहन पर जुर्माना (Fine) राशि 300000/– (तीन लाख रुपये,) राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। बाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना चिकसाना को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर